

सामग्री अ भलेखीय नीति (सीएपी)

सामग्री घटक मेटाडेटा, स्रोत और वैधता तारीखों के साथ बनाए जाते हैं। कुछ घटकों की वैधता सृजन के समय ज्ञात नहीं हो सकती है। ऐसी सामग्री को हमेशा के रूप में माना जाता है और वैधता तिथि सृजन की तारीख से दस वर्ष होगी। वैधता तिथि के बाद सामग्री वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं की जाएगी।

निवृत्त, भर्ती, चर्चा के लिए मसौदे जैसे कुछ अल्पकालक सामग्री घटक, जिनकी घटना या इच्छित उद्देश्य की अवधि समाप्त हो जाने के बाद वेबसाइट पर उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं रह जाएगी। समीक्षा नीति के अनुसार, दस्तावेज़, समीक्षा, रिपोर्ट, नया क्या है आदि जैसे सामग्री घटकों की नियमित रूप से समीक्षा की जानी चाहिए।

सामग्री की वैधता तिथि से कम से कम दो सप्ताह पहले समीक्षा की जानी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो सामग्री को पुनः वैध करें और वैधता तिथि संशोधित करें। यदि सामग्री प्रासंगिक नहीं है, तो सामग्री को अ भलेख-भण्डार में भेजें और अब वेबसाइट पर से हटा लें।

दस्तावेजों, सीए से संबंधित जानकारियों और सीसीए द्वारा जारी प्रक्रियाओं आदि जैसी समय व्यपगत सामग्री घटकों को संग्रहीत करने की आवश्यकता है। वेबसाइट पर प्रदर्शित सामग्री तत्वों के लिए निम्नलिखित सूची के अनुसार अलग-अलग प्रवृष्टि / निकास नीति और अ भलेखीय नीति है: -

वेब सूचना प्रबंधक

ईमेल -: ed_rmk[at]nic[dot]in

क्रम सं.	सामग्री तत्व	प्रवृष्टि नीति	निकास नीति
1	सीसीए के बारे में	जब भी आईटी अधिनियम में परिवर्तन होता है / सीसीए की जिम्मेदारियों के संबंध में सरकार का निर्णय	अ भलेखागार में प्रवेश की तारीख के बाद से सात (07) साल।

2	सीए से संबंधित जानकारी	सीए की अनिश्चिन्ता	अभिलेखागार में प्रवेश की तारीख के बाद से सात (07) साल।
3	सीसीए द्वारा जारी दिशानिर्देश	जारी किये गए कार्यालय ज्ञापन या अधिसूचना का अधिक्रमण (ओवररू लंग)।	ज्ञापन / अधिसूचना की तारीख से सात (07) साल
4	आईटी अधिनियम / नियम / वनियमन	राजपत्र द्वारा जारी या केंद्रीय या राज्य सरकार के माध्यम पास किया गया	अधिनियम/नियम डेटाबेस में हमेशा उपलब्ध होने के लिए सतत (10 वर्ष)
5	प्रकटीकरण रिकॉर्ड / सीआरएल	लाइसेंस प्राप्त सीए का बंद होना	अभिलेखागारमें प्रवेश की तारीख के बाद से सात (07) साल।
6	सूचनाएं	जारी किये गए कार्यालय ज्ञापन या अधिसूचना का अधिक्रमण (ओवरराउ लंग)।	अभिलेखागार में प्रवेश की तारीख से पांच (05) साल।
7	प्रकाशन / रिपोर्ट	इसकी वैधता अधिध को पूरा करना।	अभिलेखागारमें प्रवेश की तारीख से पांच (05) साल।
8	संपर्क ववरण	अपेक्षित नहीं है	की जरूरत नहीं है।
9	नया क्या है	जैसे ही यह पास गकता खो देता है।	वैधता अधिध की समाप्ति के तुरंत बाद।
10	निवदाएं / भर्ती	जैसे ही यह पास गकता खो देता है।	अभिलेखागार में प्रवेश की तारीख के बाद से सात (05) साल।
11	आरटीआई से संबंधित	राजपत्र द्वारा जारी या केंद्रीय या राज्य सरकार के माध्यम पास किया गया	अनिश्चिन्ता की तारीख से पांच (05) साल।